युवा कार्य और खेल मंत्रालय

मांग संख्या 105

युवा कार्य और खेल मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		385.79	65.97	451.76	371.19	65.97	437.16	430.88	67.97	498.85
पूंजी		*14.21*	*0.03*	*14.24*	*3.81*	*0.03*	*3.84*	*8.11*	*0.03*	*8.14*
जोड़		**400.00**	**66.00**	**466.00**	**375.00**	**66.00**	**441.00**	**438.99**	**68.00**	**506.99**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	0.50	6.70	7.20	0.50	7.74	8.24	1.04	7.52	8.56
खेल और युवा सेवाएं										
युवा कल्याण योजनाएं										
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन	2204	28.97	15.54	44.51	28.22	15.54	43.76	34.00	18.00	52.00
3. राष्ट्रीय सेवा योजना	2204	5.13	2.89	8.02	5.13	2.89	8.02	5.40	3.00	8.40
	3601	20.00	2.19	22.19	25.50	2.19	27.69	20.45	2.40	22.85
	3602	0.07	0.06	0.13	0.07	0.11	0.18	0.25	0.15	0.40
	जोड़	*25.20*	*5.14*	*30.34*	*30.70*	*5.19*	*35.89*	*26.10*	*5.55*	*31.65*
4. राष्ट्रीय अनुशासन योजना	3601	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	1.00	1.00
5. राष्ट्रीय सेवा स्वंयसेवी योजना	2204	5.40	...	5.40	2.88	...	2.88	5.40	...	5.40
6. राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम	2204	3.95	...	3.95	6.67	...	6.67	3.95	...	3.95
	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*4.95*	*...*	*4.95*	*7.67*	*...*	*7.67*	*4.95*	*...*	*4.95*
7. युवा होस्टल	2204	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.40	...	0.40
	4202	2.40	...	2.40	2.40	...	2.40	4.10	...	4.10
	जोड़	*2.70*	*...*	*2.70*	*2.70*	*...*	*2.70*	*4.50*	*...*	*4.50*
8. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	2204	1.80	0.65	2.45	1.80	0.65	2.45	3.60	0.65	4.25
9. राष्ट्रीय सद्भावना योजना (पूर्व राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर)	2204	10.80	...	10.80	0.01	...	0.01	8.10	...	8.10
10. राष्ट्रीय युवा आयोग	2204	...	1.93	1.93	...	0.98	0.98	...	0.01	0.01
11. अन्य योजनाएं	2204	23.18	1.51	24.69	22.72	1.46	24.18	32.08	1.46	33.54
	3601	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	4202	4.40	...	4.40	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*27.68*	*1.51*	*29.19*	*22.83*	*1.46*	*24.29*	*32.19*	*1.46*	*33.65*
जोड़-युवा कल्याण योजनाएं		**107.50**	**29.77**	**137.27**	**96.81**	**28.82**	**125.63**	**118.84**	**26.67**	**145.51**
क्रीड़ा और खेल-कूद										
12. भारतीय स्वेल प्राधिकरण	2204	123.83	21.06	144.89	117.75	21.18	138.93	134.31	23.04	157.35
13. लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	2204	6.00	4.50	10.50	4.50	4.50	9.00	8.10	5.00	13.10
14. अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद	2204	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01	0.10	...	0.10
15. पुरस्कार संबंधी योजनायें										
(i) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार	2204	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06
(ii) अंतर्राष्ट्रीय खेलों आदि के विजेताओं को विशेष पुरस्कार	2204	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.44	...	5.44
	जोड़	*5.06*	*...*	*5.06*	*5.06*	*...*	*5.06*	*5.50*	*...*	*5.50*
16. खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन योजना	2204	9.00	...	9.00	25.30	...	25.30	22.00	...	22.00
17. प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण संबंधी योजनाएं (होनहार खिलाडियों इत्यादि की सहायता के लिए संशोधित योजना)	2204	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	3.00	...	3.00
18. राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता	2204	48.31	2.00	50.31	47.31	1.91	49.22	45.00	3.00	48.00
19. अफ्रीकी-एशियाई खेल	3601	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
20. खेल आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु अनुदान	3601	18.50	...	18.50	13.50	...	13.50	...	...	...
21. खेल के मैदानों इत्यादि के विकास हेतु ग्रामीण विद्यालयों को अनुदान	2204	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	...	...	...
22. विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान	2204	12.00	...	12.00	13.00	...	13.00	...	...	...
23. सिन्थेटिक खेल सतहें बिछाने के लिए अनुदान	2204	7.00	...	7.00	1.50	...	1.50	...	...	...
24. कामनवैल्थ खेल-2010	2204	...	...	...	...	...	...	45.50	...	45.50
25. अन्य योजनाएं	2204	9.18	1.79	10.97	5.25	1.67	6.92	12.70	2.00	14.70
	4202	6.02	0.03	6.05	0.01	0.03	0.04	3.50	0.03	3.53
	जोड़	*15.20*	*1.82*	*17.02*	*5.26*	*1.70*	*6.96*	*16.20*	*2.03*	*18.23*
जोड़-क्रीड़ा और खेल-कूद		**252.00**	**29.38**	**281.38**	**240.19**	**29.29**	**269.48**	**279.71**	**33.08**	**312.79**
26. अन्य कार्यक्रम	2204	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.73	0.73
27. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम की परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	38.61	...	38.61	36.11	...	36.11	38.90	...	38.90
	4552	1.39	...	1.39	1.39	...	1.39	0.50	...	0.50
	जोड़	*40.00*	*...*	*40.00*	*37.50*	*...*	*37.50*	*39.40*	*...*	*39.40*
कुल जोड़		***400.00***	***66.00***	***466.00***	***375.00***	***66.00***	***441.00***	***438.99***	***68.00***	***506.99***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. स्वेल और युवा कार्य	22204	359.50	...	359.50	337.00	...	337.00	398.55	...	398.55
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	1.04	...	1.04
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	40.00	...	40.00	37.50	...	37.50	39.40	...	39.40
जोड़		**400.00**	**...**	**400.00**	**375.00**	**...**	**375.00**	**438.99**	**...**	**438.99**

1. सचिवालय सामाजिक सेवाः सचिवालय व्यय के लिए उपलब्ध कराती है ।

2. नेहरू युवा केन्द्र संगठनः यह अपनी तरह का विश्व का सबसे बड़ा निचले स्तर का समुदाय आधारित युवा संगठन है, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (ने.यु.के.सं0) की संरचना स्वैच्छिक, स्वयं सहायता तथा सहभागिता के सिद्धांतों के आधार पर युवा शक्ति का उपयोग करने तथा मार्गीकृत करने के लिए की गयी थी ।

यह विश्व में सबसे बड़ा निचले स्तर का गैर राजनैतिक संगठन है जो समुदाय आधारित युवा क्लबों के जरिए नामांकित किए गए गैर छात्र ग्रामीण युवाओं की जरूरतों को पूरा करता है । वर्षों से, नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने 500 जिलों में अपने जिला कार्यालयों (केन्द्रो) के विस्तार तथा पूरे देश में ग्राम आधारित संगठनों जैसे युवा क्लबों, महिला मंडलों तथा ग्रामीण युवा क्लबों, को बनाने का प्रमाण दिया है । फिलहाल, नेहरू युवा केन्द्र संगठन के 18 मंडलीय कार्यालय हैं तथा 13-35 वर्ष के आयु वर्ग में 8 मिलियन ग्रामीण युवाओं (पुरूष एवं स्त्री) की सदस्यता सहित दो लाख से अधिक युवा क्लबों, महिलाओं तथा ग्रामीण खेल क्लबों का नेटवर्क है । ग्रामीण युवा क्लबों को अधिकार प्रदान करने तथा उनके बीच नेतृत्व का संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय सदभावना योजना नामक एक नई योजना अनुमोदित की गई है । ब्लाक में सर्वोत्तम पंजीकृत युवा क्लब को एक वर्ष की अवधि के लिए एक नेहरू युवा साथी नामांकित करने का अधिकार होगा । नेहरू युवा केन्द्र संगठन के अंतर्गत जिला तथा ग्राम स्तरीय केन्द्रों ने बहुत से क्षेत्रों में पहल तथा कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनमें शिक्षा तथा प्रशिक्षण, जागरूकता उत्पन्न करना, कौशल विकास तथा स्वरोजगार, उपक्रम उत्पन्न करना, मित व्यय तथा सहयोग शामिल हैं । यह साहस तथा खेल के जरिए शरीर के विकास पर तथा नए विचारों एवं विकास की रणनीतियों के सतत प्रभाव द्वारा मन के विकास पर ध्यान देता है । अग्रणी युवा संगठन के रूप में नेहरू युवा केन्द्र संगठन गैर छात्र ग्रामीण युवाओं के क्षेत्र में गतिशील तथा विकासात्मक गतिविधियों के मुख्य अंश के लिए सरकार के कार्यान्वयन विकास के रूप में कार्य करता है । 2004-05 के दौरान बहुत सी नई पहल शुरू की गई जैसे सेवाओं तथा गतिविधियों का अभिकरण, एन.एस.एस. के युवा छात्रों के साथ समन्वय, युवा संसाधन केन्द्र की स्थापना, गैर सरकारी संगठनों के रूप में युवा क्लबों को मान्यता देना । विभिन्न मंत्रालय तथा विभाग और अन्य संगठन अपने कार्यक्रमों की पहुंच को सुधारने के लिए निचले स्तर के इस संगठन का उपयोग कर रहे हैं ।

2 अक्तूबर, 2004 को एक नई पहल प्रारंभ की गयी जिसका नाम गांधी ग्रामोदय संकल्प अभियान था । इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर गांव के स्वप्न को नेहरू युवा केन्द्र की उपस्थिति में प्रत्येक 500 जिलों में एक गांव को अपना कर वास्तव में साकार करना है ।

3. राष्ट्रीय सेवा योजना : राष्ट्रीय सेवा योजना जो एन.एस.एस. के नाम से विख्यात है, केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित एक योजना है जिसका इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है । इसका प्रारंभ गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान 24 सितंबर, 1969 को किया गया था जिसमें सामुदायिक सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करने की ओर प्राथमिक ध्यान दिया गया था ।

विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों को सम्मिलित कर निम्नलिखित दो प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैः-

(1) नियमित गतिविधियाँः नियमित गतिविधियों के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्रीय स्वयंसेवक से लगातार 2 वर्षों की अवधि के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य करना तथा इस प्रकार प्रत्येक वर्ष कम से कम 120 घंटे तक समुदाय सेवा करनी अपेक्षित है । इन गतिविधियों में अपनाए गए गाँवों और गंदी बस्तियों में रचनात्मक कार्य, रक्तदान, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण, एड्स के प्रति जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण और परिसरों में सुधार आदि शामिल हैं ।

(2) विशेष शिविर कार्यक्रमः विशेष शिविर कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष 10 दिन की अवधि का एक शिविर विशिष्ट विषय वस्तु पर अपनाए गए गांवों में आयोजित किया जाता है । वर्ष 2004-05 की विषय वस्तु है " नदियों में बहे जलधारा यह है संकल्प हमारा " ।

योजना का चरणबद्ध ढंग से विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि देश में सभी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों और कालेजों/तकनीकी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को कवर किया जा सके ।

4. राष्ट्रीय अनुशासन योजना (एन.डी.एस.): इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार भूतपूर्व राष्ट्रीय फिटनेस कोर योजना के अंतर्गत एन.डी.एस. अनुदेशकों के वेतन और भत्तों पर होने वाले व्यय तथा अन्य आकस्मिक व्यय को वहन करती है ।

5. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजनाः योजना का उद्देश्य सामान्यतः उन छात्रों को अवसर प्रदान करना है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूर्ण कर ली है ताकि वे स्वयं किसी विशेष अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में स्वैच्छिक आधार पर शामिल हो सकें । कोई भी व्यक्ति जिसने प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है तथा 25 वर्ष की आयु से कम है, वह एक/दो वर्ष के लिए राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकता/सकती है । अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला स्वयंसेवकों के मामले में आयु तथा शैक्षिक योग्यता संबंधी अपेक्षाओं में छूट दी जाती है । इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक नामांकित स्वयंसेवक को 1000/- रूपये प्रति माह वजीफा दिया जाता है । नामांकित स्वयंसेवकों को 28 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी प्रावधान है जिसके लिए भोजन एवं आवास के लिए 80/- रूपये प्रति स्वयंसेवक प्रतिदिन की दर से व्यय का भुगतान किया जाता है । इसके अलावा 100/- रूपये प्रति स्वयंसेवक की दर से यात्रा भत्ता तथा भोजन एवं आवास का 25% की दर से आकास्मिकताएँ भी दी जाती हैं । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की संख्या 5300 है । लाभार्थियों में नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स तथा राज्य सरकारें शामिल हैं ।

6. राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन की योजनाः राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन की योजना एक केन्द्रीय योजना है । यह योजना देश के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित युवाओं में बेहतर आदान-प्रदान और समझ के लिए ढांचा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, विभिन्न प्रकार के ऐसे युवा कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो राष्ट्रीय एकीकरण और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाते हैं । राष्ट्रीय एकीकरण के कार्य में स्वैच्छिक एजेंसियों की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों में माध्यम से धनराशि मार्गीकृत की जाती है ।

इस योजना के अंतर्गत कवर होने वाले दो मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैः-

1. राष्ट्रीय एकीकरण शिविर (एन.आई.सी.) और
2. अंतर राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (आई.एस.वाई.ई.पी.)

राष्ट्रीय एकीकरण शिविर कार्यक्रम के अंतर्गत, देश के विभिन्न भागों में 150-200 युवाओं के लिए 7 से 10 दिनों की अवधि के शिविर आयोजित किए जाते हैं । प्रतिवर्ष लगभग 150 शिविरों के आयोजन हेतु केन्द्रीय सहायता दी जाती है जिसमें से लगभग 75 प्रतिशत शिविरों का आयोजन स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा किया जाता है । विभिन्न राज्यों से 13 से 35 वर्ष तक की आयु के युवाओं द्वारा शिविरों में भाग लिया जाता है । वे साथ-साथ रहते हैं, साथ-साथ खाते हैं, एवं आपसी समझ विकसित करते हैं और इस प्रक्रिया में एक-दूसरे की संस्कृति और परंपराओं की प्रशंसा करते हैं । शिविर में रूकने के दौरान, वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कार्य शिविरों आदि में भी भाग लेते हैं । भारत सरकार अपने स्वायत्तशासी निकायों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों जैसे कि नेहरू युवा केन्द्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिटों राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों का आयोजन भी करती है ।

अंतर-राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत एक राज्य या अधिक राज्यों के छात्र और गैर छात्र युवा दोनों ही अन्य राज्यों में ले जाए जाते हैं ताकि वे हमारे देश की विविध संस्कृति को समझ सके । राज्य सरकारों, कालेज विश्वविद्यालयों और स्वैच्छिक एजेंसियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।

7. युवा छात्रावासों की योजनाः युवा छात्रावासों का निर्माण युवाओं में यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है । युवा छात्रावासों का निर्माण केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम के रूप में माना गया है । केन्द्र सरकार निर्माण की लागत वहन करती है जबकि राज्य सरकार पानी, बिजली, पहुंच मार्गों सहित विकसित भूमि उपलब्ध कराती है । निर्माण पूरा हो जाने के बाद, युवा छात्रावास राज्य सरकार को प्रबंधन के लिए सौंप दिए जाते हैं । आज तक की स्थिति के अनुसार 65 युवा छात्रावासों का निर्माण किया जा चुका है तथा 24 छात्रावास निर्माणाधीन हैं । भारत सरकार ने उन 27 युवा छात्रावासों के निर्माण के लिए सिद्धांत रूप में अपना अनुमोदन भी दिया है जिनका निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है । युवा छात्रावास की देखभाल एक वार्डन और सहायक वार्डन जो कि

सामान्यतः पति-पत्नी की टीम होती है, के द्वारा की जाती है और उन्हें 5000/- रूपये का मानदेय तथा 500/- रूपये प्रतिमाह का यात्रा भत्ता दिया जाता है ।

8. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी): राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरम्बुदूर (तमिलनाडु) में वर्ष 1993 में स्थापित किया गया है । यह संस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकाय और केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है । यह देश में प्रशिक्षण, प्रलेखीकरण, अनुसंधान तथा मूल्यांकन और युवाओं से संबंधित सभी कार्यकलापों का विस्तार करने के लिए उत्तरदायी है । यह संस्थानः-

1. युवा कार्यक्रमों, नीतियों एवं कार्यान्वयन कार्यान्वितों के लिए एक अनुसंधान एजेंसी तथा विचार-मंच के रूप में कार्य करेगा ।
2. युवाओं के लिए बहुआयामी कार्यक्रम तैयार करेगा ।
3. युवा क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए एक संस्थान के रूप में कार्य करेगा।
4. युवा विकास-संबंधी प्रलेखन, सूचना तथा प्रकाशन के लिए केन्द्र के रूप में कार्य करेगा; तथा इस वर्ष राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान में चार नये प्रभाग स्वीकृत किए गए हैं ।
5. एक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करेगा ।

इस संस्थान में निम्नलिखित पांच प्रभाग जोड़े जा रहे हैं ।

क. प्रशिक्षण अभिविन्यास और विस्तार प्रभाग

ख. अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रलेखन प्रसार प्रभाग

ग. पंचायती राज और युवा कार्य प्रभाग

घ. युवा विकास प्रभाग में उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र

ङ. सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता प्रभाग

सभागार सहित संस्थान के परिसर को भी उन्नत बनाया जा रहा है ।

9. राष्ट्रीय सद्भावना योजनाः राष्ट्रीय सद्भावना योजना पूर्व राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना का नया नाम है । इस योजना का प्रमुख उद्देश्य नेतृत्व विकास के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में युवाओं को शामिल करना है। यह योजना नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से कार्यान्वित की जानी है । इस योजना के अंतर्गत स्वयंसेवक जो नेहरू युवा साथी के नाम से जाने जाएंगे युवा क्लबों और युवा विकास केन्द्रों के मध्य संपर्क का काम करेंगे । प्रत्येक जिले में स्वयंसेवकों (साथियों) की संख्या 10-20 के बीच होगी । इससे युवा विकास केन्द्र में संसाधन केन्द्र विकसित होने में मदद मिलेगी तथा इसका लाभ प्रत्येक जिला युवा समन्वयक और युवा विकास तथा ग्रामीण युवा क्लब/महिला मंडल के बीच एक स्वयंसेवक के चैनल के माध्यम से आधारभूत स्तर तक पहुंचेगा । यह योजना नेहरू युवा केन्द्र संगठन को प्रभावी ढंग से सुदृढ़ बनाएगी । समुदाय विकास ब्लाक में विद्यमान सर्वश्रेष्ठ पंजीकृत युवा क्लबों/महिला मंडलों/ग्रामीण खेल क्लबों से कम से कम एक स्वयंसेवक नामित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, जिल में विद्यमान सर्वश्रेष्ठ पंजीकृत युवा विकास केन्द्रों/ आर.आई.टी.वाई.डी.सी. से एक स्वयंसेवक नामित किया जाएगा ।

11. अन्य युवा कल्याणकारी गतिविधियांः इसमें सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय युवा शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान युवा गतिविधियों में शामिल स्वयंसेवी एजेन्सियों को वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, साहस का संवर्धन, स्काऊटिंग और गाईडिंग की योजना, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम, युवा क्लबों को वितीय सहायता और पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक कार्यक्रमों को योगदान शामिल है । मंत्रालय ने 2004-2005 के दौरान किशोरों के विकास तथा अधिकारिता के लिए वित्तीय सहायता की योजना प्रारंभ की है । योजना के मुख्य क्षेत्र हैं, पर्यावरण तैयार करना, जीवन-कौशल शिक्षा , मनोविज्ञान सहित परामर्श, स्वास्थ्य तथा कैरियर परामर्श, कैरियर मार्गदर्शन तथा पोलीटैक्निक तथा विश्वविद्यालय सहित प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं है । एन0एस0एस0 ईकाईयां, नेहरु युवा केन्द्र, भारतीय खेल प्राधिकरण, स्काऊटिंग तथा गाइडिंग के क्षेत्र में कार्यक्रम संस्थाएं तथा गैर सरकारी संगठन इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं । योजना के अंतर्गत बहुत से गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जा रही है ।

किशोरों के कल्याण और विकास की योजना के अंतर्गत यू.एन.एफ.पी.ए. से ई.पी.ए. के रुप में चार वर्षों के लिए 12.15 करोड़ रुपए का योगदान है । योजना के लिए युवाओं के लिए योजनाओं के अंतर्गत अन्य योजनाओं के लिये जरुरी प्रावधान रखा गया है ।

12. भारतीय खेल प्राधिकरणः भारत सरकार ने 16 मार्च 1984 को भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) की स्थापना की थी जिसके दो उद्देश्यः खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना तथा विभिन्न आयु वर्गों में प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाना एवं पोषण करने के लिए की गई थी ताकि उनको अपेक्षित अवस्थापना, उपस्कर कोचिंग एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके।

भारतीय खेल प्राधिकरण स्टेडियमों के रखरखाव एवं उपयोग के लिए भी उत्तरदायी है जिनका निर्माण/नवीनीकरण दिल्ली में 9 वें एशियाई खेलों के दौरान किया गया था ।

भारतीय खेल प्राधिकरण के सामान्य निकाय के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं। इसके पदेन सदस्यों में सार्वजनिक प्रतिनिधि तथा श्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं । राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, त्रिवेन्द्रम में शारीरिक शिक्षा संस्थान, 5 क्षेत्रीय केन्द्र, 2 उपकेन्द्र, भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र और दिल्ली में उपर्युक्त स्टेडियमों सहित क्षेत्रीय एकक हैं।

प्रतिभा नष्ट न हो जाय इसमें सुधार करने के लिए भा.खे.प्रा. ने सेना बाल खेल कंपनी की वास्तविक संख्या को बढ़ाया है । वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मानक डोप नियंत्रण केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भा.खे.प्रा. के मुख्यालय में कार्य कर रहा है । खेलों में डोपिंग के खतरे से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ, भारत ने कोपेनहेगन घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं । डोपिंग विरोधी एजेंसी शासी निकाय के रूप में पंजीकृत होगी और इसके पश्चात डोप नियंत्रण केन्द्र एजेंसी द्वारा चलाया जाएगा ।

भारत में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की मेजबानी करने के संदर्भ में, भा.खे.प्रा. के स्टेडियमों को उनके परिसरों में आयोजित किए जाने वाले खेलों के संबंध में एक अग्रणी भूमिका निभानी होगी । विद्यमान स्टेडियमों को बदलने, उनको बढाने तथा उनको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए भा.खे.प्रा. में योजनाएं बनायी जा रही हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी की आधार सुविधा उपलब्ध करायी जा सके ।

13. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान : लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान को आरंभ में, भारत की आजादी के लिए प्रथम युद्ध के शताब्दी वर्ष में, 17 अगस्त, 1957 को एक कालेज के रूप में स्थापित किया गया था । यह संस्थान ग्वालियर में स्थित है जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे । शारीरिक शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में संस्थान द्वारा की गई सेवाओं को मान्यता देते हुए, इसके स्तर का उन्नयन करते हुए 1995 में इसे समकक्ष विश्वविद्यालय बना दिया गया । यह संस्थान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्तशासी संगठन है। यह संस्थान भारत सरकार द्वारा पूर्णरूप से वित्त पोषित है ।

14. अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद

शारीरिक शिक्षा और खेल को स्कूली शिक्षा के साथ एकीकृत करने के बारे में कैब समिति की रिपोर्ट को मान लेने के बाद अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद का एक सांविधिक निकाय के रूप में गठन करने का प्रस्ताव है । परिषद देश में शारीरिक शिक्षा के कार्य की देखभाल करेगी तथा शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों, शारीरिक शिक्षा संबंधित एवं अन्य विषयों को धनराशि का आबंटन एवं वितरण, महिलाओं, कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं तैयार करना, अध्यापकों को सेवापूर्व और सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देना, वर्तमान संगठनों को सुदृढ़ करना तथा नई संस्थाएं स्थापित करना, स्कूलों एवं कालेजों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों हेतु न्यूनतम योग्यताओं के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करना तथा पाठ्यक्रमों के लिए मानकों, शारीरिक और अनुदेशात्मक सुविधाओं, स्टाफ पैटर्न आदि से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार को तथा उसके जरिए राज्य सरकारों को सलाह देगी ।

15. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार :

(i) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सरकार द्वारा 1991-92 में स्थापित किए गए और एक खिलाड़ी/टीम को एक वर्ष में खेलों के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं । पुरस्कार में एक पदक, एक सम्मान का स्क्रोल और पांच लाख रुपए नकद प्रदान किए जाते हैं ।

(ii) **अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कारः** खेलों को जीविका के रूप में अपनाने के लिए युवा पीढ़ी को आकर्षित करने हेतु तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बेहतर उपलब्धियाँ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 1986 में विशेष पुरस्कार शुरू किए गए थे । यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं/टूर्नामेंटों में पदक विजेताओं को दिए जाते हैं । पुरस्कारों की राशि को हाल ही में संशोधित किया गया है ।

16. खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहनों से संबंधित योजनाः छत्र योजना निम्नलिखित उप योजनाओं को कवर करती है

(क) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधिः यह योजना 1994 में प्रारम्भ की गई थी । योजना के अन्तर्गत उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलम्पिक, विश्व कप और विश्व चैम्पियनशिपों में पदकऔर एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता हो ।

(ख) स्कूलों में खेलकूद का संवर्धनः स्कूलों में खेलों के संवर्धन के उद्देश्य से यह योजना 1986 में आरम्भ की गई थी । स्कूल के विद्यार्थियों में खेल कूद में रुचि जगाने के लिए इसका संशोधन किया गया है और विभिन्न स्तरों पर टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए अधिक बल दिया गया है । योजना के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र शासित सरकारों को जिला और राज्य स्तर पर अन्तर विद्यालय टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है , जबकि भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर की चैम्पियनशिप आयोजित करता है ।

(ग) ग्रामीण खेल कार्यक्रम : यह योजना जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट आयोजित करने पर बल देती है इसमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लिए एक विशेष घटक है अर्थात उत्तर पूर्वी खेल महोत्सव।

योजना को सुचारु रुप से कार्यान्वित करने के लिए यह प्रस्ताव है कि जिले के नेहरु युवा केन्द्र और उससे संबंधित युवा क्लबों को विभिन्न स्तर पर टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए शामिल किया जाय । यह भी प्रस्ताव है कि ब्लाक स्तर के टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाय ।

(घ) खेल छात्रवृत्ति : खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना 1970-71 में आरंभ की गई थी और इसे 1997 में संशोधित किया गया और खेल छात्रवृत्ति योजना का नाम दिया गया । योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय, राज्य और विश्वविद्यालय/कालेज स्तर पर छात्रवृत्ति दी जाती है । इसके अतिरिक्त वरिष्ठ महिला चैम्पियन साथ ही साथ महिला अनुसंधानकर्ता , खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा कर रही महिला विद्यार्थी और एम0फिल/पी-एच0डी0 कर रहे छात्रों का योजना के अन्तर्गत विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है ।

(ड़) राष्ट्रीय खेल विकास निधि : खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्त्रोतों जैसे सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी और निगमित क्षेत्र इकाईयों/ एजेंसियों और व्यक्तियों , गैर अनिवासी भारतीयों सहित से संसाधनो को जुटाने के लिए राष्टींय खेल विकास निधि की स्थापना 1998-99 के दौरान की गई थी । जिसमें सरकार ने 200 लाख रुपये का आरंभिक योगदान दिया था । इस निधि का उपयोग प्रतिभाशाली खिलाड़ियों, राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय परिसंघों, राज्य खेल परिषदों और पिछले तीन वर्षों से कार्यरत सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड गैर सरकारी संगठनों जिन्होंने खेलों का संवर्धन किया हो , को सहायता हेतु किया जा सकेगा।

17. प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से सम्बन्धित योजनाः योजना के अन्तर्गत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और विदेश में टूर्नामेंट में भाग लेने, उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक सहायता और देश में आयोजित टूर्नामेटों में भाग लेने और प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है । सहायक कार्मिकों को भी विशेष प्रशिक्षण और सेमिनार में भाग लेने, विख्यात सम्मेलनों और मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं और अर्हता परिक्षाओं में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है । देश में खिलाड़ियों और सहायक कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

18. राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायताः राष्ट्रीय खेल परिसंघों को अपनी टीमें प्रशिक्षण के लिए विदेशों मे भेजने तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन करने, राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों का आयोजन करने और उपस्करों की प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है । राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने तथा विदेशी कोचों की सेवाएं लेने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जाती है । परिसंघों के संयुक्त/ सहायक सचिवों के वेतन की प्रतिपूर्ति के द्वारा समिति सचिवालयीय सहायता भी दी जाती है । मंत्रालय द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार सहायता हेतु अनुरोधों पर कार्यवाही की जाती है।

24. राष्ट्रमंडल खेल, 2010 : राष्ट्रमंडल खेल, 2010 भारत को आबंटित किये गये हैं और ये दिल्ली में आयोजित किए जाने हैं । खेलों की तैयारी तथा आयोजन के लिए संस्थागत प्रबंध को मंत्रियों के समूह द्वारा अंतिम रूप दिया गया है । खेल मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति गठित की गई है जिसकी ओवरराइडिंग शक्ति तथा राष्ट्रमंडल खेलों की निगरानी तथा समन्वय की जिम्मेदारी होगी । आयोजन समिति की अध्यक्षता भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष द्वारा की जानी है तथा यह समिति खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेदार होगी । मंत्रियों की (जी.ओ.एम.) की एक तीन सदस्यीय उपसमिति जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होंगे, पर्यवेक्षण करेंगी तथा वित्त समिति मामलों को निपटाएगी । दिल्ली के उपराज्यपाल तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने अधिकार खेल मामलों में जिम्मेदार होंगे । प्रतियोगिता आधारित सूची की स्थापना के लिए तथा विद्यमान अवस्थापना के उन्नयन की जरूरत तथा विस्तार के के आकलन के लिए एक कृतिक बल का गठन किया गया है । इस संबंध में के.लो.नि.वि. को कंसल्टेंसी सौंपी गई है । प्रतियोगिता आधारित सूची वाली प्रथम रिपोर्ट प्रस्तावित की गई है तथा बजटीय अपेक्षा सहित अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2005-06 की दूसरी तिमाही में उपलब्ध होने की संभावना है ।

25. अन्य योजनाएँः इसमें महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप, केन्द्रीय स्कूल के एन.सी.सी. कैडेटों को अनुदान, राष्ट्रीय खेल कल्याण निधि और दो नई योजनाएं अर्थात (1) राज्य खेल अकादमी (2) डोप टेस्ट के लिए योजना आरंभ की गई है, शामिल हैं ।

डोप परीक्षण योजना

भारतीय खेल प्राधिकरण का एक डोप नियंत्रण केन्द्र (डी.सी.सी.) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में है । यह प्रयोगशाला जनवरी, 1990 में आरंभ किया गया था । डोप नियंत्रण केन्द्र (डी.सी.सी.) का चरणबद्ध ढंग से विकास किया गया था । मादक औषधि परीक्षण का तरीके का मानकीकरण के पश्चात अगस्त, 1991 में प्रथम बार आरंभ किया गया था । यह हमारे देश में एक ही प्रयोगशाला है और भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है । डोप नियंत्रण केन्द्र ने दिसम्बर, 2002 में आई.ए.ओ. 9001:2000 तथा 15 सितम्बर, 2003 में आई.एस.ओ. 17025 1999 प्रमाणन प्राप्त कर लिया था जो आई.ओ.सी. मान्यता प्राप्त करने हेतु अनिवार्य है । डोप नियंत्रण केन्द्र (डी.सी.सी.) ने 24 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2003 तक प्रथम एशियाई खेलों के लिए आई.ओ.सी./वाडा से अस्थायी मान्यता कर ली थी । उपर्युक्त खेलों के लिए 313 नमूनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

भारत में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी (वाडा) की स्थापना

विश्व डोपिंग एजेंसी (वाडा) के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत खेलों में ड्रग्स के खतरे से लड़ने के लिए गंभीर रूप से प्रतिबद्ध है । राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के अनुसरण में भारत सरकार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत ने 2004 में खेलों में डोप-विरोधी कोपेनहेगन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं । यह निर्णय लिया गया है कि 2005-06 के दौरान सोसायटी रजिस्टेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय डोप विरोधी एजेंसी (नाडा) की स्थापना की जाए।

राज्य खेल अकादमी

निगमित क्षेत्र के साथ सहभागी के रूप में राज्य खेल अकादमी की एक नई योजना स्थापित की गई है । राज्य खेल अकादमियों की योजना का मुख्य उद्देश्य 10 से 13 वर्ष के आयु समूह में, खेलों में सर्वोत्तम प्रतिभा का चयन करना है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए तैयार करना है । निगमित क्षेत्र की भागीदारी में प्रत्येक राज्य में एक खेल अकादमी स्थापित की जाएगी और अकादमी स्थापित करने की लागत प्रायोजक, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 51:25:24 के अनुपात में वहन की जाएगी । योजना को अनुमोदन प्राप्त हो गया है और योजना की प्रतिलिपि सभी राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के खेल सचिवों को परिचालित कर दी गई है । योजना के लिए अनुमोदित दसवीं योजना का परिव्यय 93.24 करोड़ रू0 है । चूँकि योजना की कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हुई है, अतः प्रशिक्षण अकादमी में बदलने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण तथा राज्य सरकार के विद्यमान अवस्थापना के उन्नयन को समाहित करते हुए योजना को और अधिक मजबूत बनाने का प्रस्ताव है । योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए खेल विधाओं की संख्या को बढ़ाकर योजना के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाएगा ।